HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
AT JODHPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 8078/2026
CNR: RJHC010587922026
URN: CRLMB / 17575U / 2026

Narendar S/o Ran Singh, Aged About 24 Years, R/o Nehru Nagar Barmer Hal Indra Colony Barmer Tehsil District Barmer. (Presently Lodged In Dist. Jail Barmer)

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through PP

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Girdhar Singh Bhati
For Respondent(s)	:	Mr. Prem Singh Panwar, PP Mr. Rajesh Bhargava

---

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

22/07/2026

01. प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से जमानत का यह आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा **483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**, महिला थाना **बाड़मेर,** जिला **बाड़मेर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **50/2026,** अपराध अन्तर्गत धारा **64(1) भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 व 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट** के मामले में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत हुआ है।

02. बहस जमानत आवेदन सुनी तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया।

03. प्रार्थी–अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट, 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयान में स्पष्ट रूप से यह अंकित है कि प्रार्थी–अभियुक्त व पीड़िता दोनों एक–दूसरे से इंस्टाग्राम पर बात (मैसेज) करते थे। चैटिंग के कागजात की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। पीड़िता के घर के अंदर खोटा काम करने का आरोप लगाया गया है, जो बिना सहमति से संभव नहीं है। कोई आई.टी. एक्ट का आरोप इस मामले में प्रार्थी–अभियुक्त पर नहीं है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 27.05.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया।

04. इसके विपरीत योग्य लोक अभियोजक तथा विद्वान अधिवक्ता मुस्तगीस ने उक्त जमानत आवेदन पत्र का सख्त विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि इस मामले में पीड़िता की उम्र 18 वर्ष से कम है। प्रार्थी–अभियुक्त ने ज़बरदस्ती पीड़िता के साथ बलात्कार किया है। इस आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त के जमानत आवेदन पत्र को खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05. मैंने उपर्युक्त तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। इस मामले में चालान पेश हो चुका है। प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा पीड़िता के 180 व 183 बी.एन.एस.एस. के बयानों में स्पष्ट रूप से एक–दूसरे द्वारा इंस्टाग्राम पर चैटिंग करने का उल्लेख किया गया है। उनकी आपस की बातचीत के संबंध में कागजात प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से पत्रावली में पेश किये गये हैं, जिनका अवलोकन किया गया। पीड़िता की उम्र 17 साल बताई गई है।

06. बहस में उठाये गये बिन्दुओं एवं अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों को देखते हुए प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

07. परिणामतः प्रार्थी–अभियुक्त का जमानत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी–अभियुक्त **नरेन्द्र पुत्र राणसिंह** उपर्युक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट के मामले में अपनी नियमित उपस्थिति के संबंध में एक लाख रुपये का मुचलका एवं योग्य अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद पचास–पचास हजार रुपये की दो जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करा दे तो उसे इस प्रकरण में जमानत पर तुरंत रिहा कर दिया जावे।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J

18/Divyashri Maru/677